सरप्लस औद्योगिक भूमि के उपयोग की बनेगी नीति

औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने अधिकारियों को दिए निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि सरप्लस औद्योगिक भूमि के उपयोग के लिए नीति बनाई जाएगी। इसके लिए अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस समिति में यूपीसीडा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी बतौर सदस्य शामिल होंगे। महाना सोमवार को विधान भवन में औद्योगिक लैंड बैंक में वृद्धि के लिए गठित समिति की बैठक में बोल रहे थे।

जेवर एयरपोर्ट के आसपास निवेश का बड़ा अवसर

महाना ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के पास 250 हेक्टेयर भूमि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए चिह्नित कर ली गई है। मेडिकल पार्क के लिए 350 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया जा चुका है। प्रस्तावित फिल्म सिटी के लिए 1000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। प्रोजेक्ट के लिए पारदर्शी तरीके से निवेश मित्र पोर्टल के जरिए भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। इसी तरह 100 हेक्टेयर क्षेत्र में जापानी इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने का प्रस्ताव है।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक भूमि अधिग्रहण कानून को और सरल बनाया जाएगा। इसके लिए मौजूदा नीति में आवश्यक संशोधन होगा। उन्होंने सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने यहां भूमि चिह्नित कर लैंड बैंक तैयार कराएं ताकि उद्यमियों की मांग के अनुरूप भूमि का आवंटन किया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक्सप्रेस-वे के किनारे एक-एक किलोमीटर के दायरे में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। एक्सप्रेस-वे के किनारे भूमि अधिग्रहण में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है। प्रदेश में निष्प्रयोज्य एवं बंजर भूमि पर औद्योगिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी। ललितपुर, हमीरपुर तथा औरैया में 1483 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार, सीईओ यूपीसीडा मयूर महेश्वरी, सीईओ नोएडा अथॉरिटी रितु माहेश्वरी, सीईओ ग्रेटर नोएडा नरेंद्र भूषण तथा सीईओ यमुना अथॉरिटी अरुणवीर आदि उपस्थित रहे।